

चार धाम हाईवे परियोजना को एनजीटी की मंजूरी

संदर्भ

उत्तराखण्ड के चार पावन नगरों के लिये सभी मौसमों में यात्रा के अनुकूल सड़कों के निर्माण की महत्त्वाकांक्षी 'चारधाम हाईवे परियोजना' को 'नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल' ने मंजूरी दे दी है। वदिति हो कि 900 कर्मी लंबे राजमार्ग से जनि तीरथस्थलों को जोड़ा जाएगा, उनमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम शामिल हैं।

पृष्ठभूमि

- एनजीटी में पहले एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के वसितारीकरण से भागीरथी नदी घाटी में पहाड़ों को तोड़े जाने और हजारों पेड़ों के कटाव को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी।
- गौरतलब है कि हरित नयिमें के उल्लंघन का अंदेशा व्यक्त करने वाली यह याचिका एनजीटी ने खारजि कर दी। साथ ही राज्य सरकार ने भरोसा दलाया है कि वै 'भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र' अधिसूचना का पालन करते हुए इस परियोजना पर आगे बढ़ेंगे।
- क्रयान्वयन के दौरान यह सुनिश्चिती कयिा जाएगा कि किसी भी तरह का मलबा नदी और पहाड़ के नीचे के वन्य क्षेत्र में नहीं फेंका जाए। दरअसल, चारधाम हाईवे परियोजना रणनीतिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह चीन की सीमा के पास है।

चारधाम हाईवे परियोजना क्या है?

- चारधाम यात्रा पर शरदधालुओं को सड़क हादसों एवं प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस चारधाम महामार्ग विकास परियोजना के सफल क्रयान्वयन से न सरिफ चारधाम की यात्रा आसान होगी, बल्कि पहाड़ी क्षेत्र का विकास भी होगा। ऋषिकेश से शुरू होने वाली यह केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तक जाएगी।
- चारधाम प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखण्ड में 900 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कयिा जाना है। इस पर 12,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इन रास्तों पर कई पुल, बाईपास और वशिष टनल बनाए जाएंगे।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस परियोजना का उद्घाटन दसिम्बर 2016 में कयिा गया था।

एनजीटी क्या है?

- एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण बचाव, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, क्षतगिरसत व्यक्त अथवा संपत्ति के लिये अनुतोष और क्षतपूरत प्रदान करने एवं इससे जुड़े हुए मामलों के प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारे के लिये की गई है।
- यह एक वशिषिट निकाय है, जो पर्यावरण विवादों एवं बहु-अनुशासनिक मामलों को सुवजिजता से संचालित करने के लिये सभी आवश्यक तंत्रों से सुसज्जित है।
- अधिकरण का उद्देश्य पर्यावरण के मामलों को दुरुत गति से निपटाना तथा उच्च न्यायालयों के मुकदमों के भार को कम करने में मदद करना है।